न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 286/2025

रामचन्द्र पुत्र भागुराम, जाति मीणा, पेशी खेती, निवासी ग्राम खटकड़, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं।
——रेस्पोडेन्ट

———

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 18.08.2025 न्यायालय तहसीलदार, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट मु.न. 139/2025

———

उपस्थित :—
1. श्री महिपाल सिंह कपूरिया , एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट् की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.04.2026

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 18.08.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बरान 864, 1138 किस्म बंजड़, खसरा न. 971 किस्म बंजड़ द्वितीय में से 2.05 है0 वाके ग्राम खटकड़ पटवार हल्का केड से अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर मौखिक रूप से बेदखल करने हेतु व 650 रुपये मात्र बतौर शास्ति जुर्माना अधिरोपित कर निर्णय पारित किया है जिसके विरुद्ध में अपीलान्ट ये अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.न. 37/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्ट ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्ट उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने का अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्ट की साक्ष्य बंद किये बिना ही

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 18.08.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेन्ट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त अराजियात भूमि खसरा नम्बरान 864, 1138 किस्म बंजड़, खसरा नं0 971 किस्म बजड़ द्वितीय है जिन पर अपीलान्ट का कदीम व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्ट के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद योग्य अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किए जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नं0 864, 1138 के सम्बन्ध में एक दावा उनवानी सांवता आदि बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है जिसके मु.नं. 182/2017 है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना दिनांक 18.01.2019 को अ. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनने हेतु पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का परिवर्तनशील सवंत् 2045 से पुराना कब्जा व हित निहित मानते हुए व दस्तावेजों के आधार पर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2019 स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फिया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाईल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 139/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात व नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में दिनांक 06.02.2025 को दर्ज हुआ था जिसके मु.न. 37/2025 दर्ज हुए। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर झुंझुनूं के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में कार्य क्षेत्र विभाजन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार

गुढ़ागौड़जी में स्थानांतरित हो गई। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी में तारीख पेशी दिनांक 28.02.2025 वास्ते कार्यवाही जवाब नोटिस हेतु नियत थी। उक्त तारीख पेशी पर अपीलान्ट गैर सायलान की तरफ से जवाब नोटिस प्रस्तुत हुआ तथा आगामी पेशी दिनांक 08.04.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली अदालत मातहत में अन्तरित होने के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 28.05.2025 नियत की गई जिसके बाद प्रकरण में दिनांक 23.06.2025 को अपीलान्ट ने प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 नियत कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अपीलान्ट को अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्ट उक्त तारीख पेशी पर साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के कारण पुनः साक्ष्य हेतु अवसर चाहा जिस पर दिनांक 14.08.2025 नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 14.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 18.08.2025 नियत की गई जिस पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने का अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की हल्फीया साक्ष्य लेखबद्ध की व अपीलान्ट की साक्ष्य बंद किये बिना ही अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 18.08.2025 अपीलान्ट के विरुद्ध में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गए। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में किस खसरा नम्बर से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किया है, का उल्लेख नहीं किया गया है तथा आदेश में यह दर्ज किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है जो बोलता हुआ जजमेन्ट नहीं है। इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त अराजियात भूमि खसरा नम्बरान 864, 1138 किस्म बंजड़, खसरा नं0 971 किस्म बजड़ द्वितीय है जिन पर अपीलान्ट का कदीम व पुराना कब्जा है जिसकी बाबत् राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में उल्लेख है व लगान तय हुआ है व काश्त की बाबत् अपीलान्ट के हक में रबी व खरीफ की दोनों फसलों के इन्द्राजात है तथा अपीलान्ट ने काफी मेहनत करके उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है इसलिए उक्त मामला अपीलान्ट/गैरसायल के हक में नियमन का है इसके बावजूद अदालत मातहत ने अपने उक्त आदेश दिनांकित 18.08.2025 के द्वारा अपीलान्ट/गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल किए जाने का आदेश पारित कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अपीलान्ट गैर सायल के हक में बखूबी नियमन का मामला होने के बावजूद योग्य अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय झुंझुनूं की नियमन एवं आवंटन समिति के समक्ष भेजकर उक्त आराजीयात का नियमन बहक अपीलान्ट किए जाने हेतु सिफारिश नहीं कर व उक्त बेदखलीयाबी का आदेश पारित कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत के द्वारा पारित उक्त निर्णय मय खर्चा काबिले खारिज है। उक्त प्रकरण में विवादित खसरा नं0 864, 1138 के सम्बन्ध में एक दावा उनवानी सांवता आदि बनाम तहसीलदार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है जिसके मु.नं. 182/2017 है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट ने एक प्रार्थना दिनांक 18.01.2019 को अ. आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनने हेतु पेश किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का परिवर्तनशील सवंत् 2045 से पुराना कब्जा व हित निहित मानते हुए व दस्तावेजों के आधार पर पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2019 स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत ने भी उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 18.08.2025 पारित करने से पूर्व सम्बन्धित पटवारी हल्का के हल्फिया साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं की अगर पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट को गैर सायलान अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से जिरह करके अपने केस को साबित करते परन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उनके हक में अदालत मातहत में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 18.08.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करते वक्त उक्त मामले पर कतई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट को बिना सुने ही उक्त निर्णय दिनांक 18.08.2025 को पारित कर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है और निर्णय साईक्लोस्टाईल टाईप का निर्णय पारित कर दिया इसलिए भी उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर अदालत मातहत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामचन्द्र किस्म मुकदमा 91 एल.आर. एक्ट मु.नं. 139/2025 में पारित निर्णय दिनांकित 18.08.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें व वादग्रस्त आराजियात व नियमन अपीलान्ट के हक में किया जाना फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम खटकड़ स्थित भूमि ख0न0 भूमि खसरा नम्बर 864, 1138 व 971 कुल रकबा क्रमशः 4.47, 2.10, 0.05 है0 किस्म गैर मुमकीन बजड़ 2 मे से रकबा क्रमशः 1.20, 0.80 व 0.05 है0 भूमि मे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम ग्राम खटकड़ स्थित भूमि ख0न0 भूमि खसरा नम्बर 864, 1138 व 971 कुल रकबा क्रमशः 4.47, 2.10, 0.05 है0 किस्म गैर मुमकीन बजड़ 2 में से रकबा क्रमशः 1.20, 0.80 व 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई तथा साक्ष्य सबुत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 18.08.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान करते हुये तथा साक्ष्य सबूत पेश करने अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं